वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

पत्र सं. 20–8(1)/2001–राभा
Dated दिनांक : 01 02.2016

सेवा में,

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों निदेशक/प्रधान

विषय : सरकारी कामकाज में मूल रूप से सुगम, सरल और सहज हिंदी का प्रयोग किया जाना।
Sub : To do our official work originally in easy, simple & natural Hindi.

महोदय,

आपको ज्ञात है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा है और मूलतः अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करना हम सभी का संवैधानिक और सांविधिक दायित्व है। सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग और प्रचलन विगत दशकों में निःसंदेह बढ़ा है, किंतु हिंदी का पूर्णतः प्रयोग अभी भी नहीं हो रहा है।

You are aware that the Official Language of the Union is Hindi in Devanagari Script. It is the constitutional and statutory obligation cast upon each one of us to do our official work originally in Hindi. Although, use of Hindi in the offices has increased, substantial business is still being done in English.

20/11/15
2/1/16

2. इसलिए उच्चतम स्तर पर सरकारी कामकाज में आम बोलचाल की हिंदी के सरल, सहज एवं सुस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करके छोटे–छोटे वाक्य बनाकर टिप्पणी एवं मसौदा लेखन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी/अनुभाग/प्रभाग/एकक आदि स्वतः अपने कामकाज में मूल रूप में सहज हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित हो सकें।

Original official work at the highest level must be done in easy, simple and natural Hindi and this in turn will motivate the officials/employees/sections/divisions/units etc. working under them to comply with the Official Language Policy.

3. कृपया इस पत्र के साथ संलग्न भारत सरकार के राजभाषा विभाग के सचिव, श्री गिरीश शंकर के दिनांक 28 दिसम्बर 2015 के पत्र सं. 14011/02/2011–रा.भा.(नीति) की फोटोप्रति का भी अवलोकन करें।

भवदीया,

अनुपमा
1.2.16

(डॉ. अनुपमा)

प्रतिलिपि :

1. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन अधिकारी
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ हिंदी अधिकारी/हिंदी अधिकारी/हिंदी अनुवादक

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788
Website : http://www.csir.res.in

क्र.प.या

गिरीश शंकर, आई.ए.एस.
सचिव
Girish Shankar, IAS
SECRETARY
Tel. : 23438266 Telefax : 23438267
E-mail : secy-ol@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
3rd FLOOR, N.D.C.C.-II BHAWAN,
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001
www.rajbhasha.gov.in

फाइल सं.14011/02/2011-रा.भा. (नीति) दिनांक 28 दिसम्बर, 2015

विषय: सरकारी कामकाज में सुगम, सरल और सहज हिंदी का प्रयोग ।

प्रिय महोदय/महोदया,

आपको ज्ञात है कि संघ की राजभाषा हिंदी है। सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग और प्रचलन विगत दशकों में नि:संदेह बढ़ा है, किंतु हिंदी का पूर्णत: प्रयोग अभी भी नहीं हो रहा है। चूंकि संघ सरकार की राजभाषा हिंदी है अत: यह हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम अपने कामकाज में हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित करें।

2. राजभाषा हिंदी के प्रयोग के मामले में जो बात बार-बार चर्चा का विषय बनती है, वह है सरल हिंदी का प्रयोग। आम बोलचाल की हिंदी के शब्दों को कार्यालयों के कामकाज में प्रयोग में लाया जाना चाहिए। हिंदी के सरल, सहज एवं सुस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करके छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग टिप्पणी लेखन एवं पत्राचार के लिए किए जाने से हिंदी के प्रति सबकी रुचि बढ़ेगी। सरकारी कामकाज में हिंदी सिर्फ अनुवाद की भाषा बनकर न रह जाए, इसलिए आवश्यक है कि मंत्रालयों/विभागों में उच्चतम स्तर पर सरल हिंदी का प्रयोग किया जाए, जिससे अनुभाग/प्रभाग स्वत: अपने कामकाज में मूल रूप में सहज हिंदी का प्रयोग करेंगे।

3. देश की सामासिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए हिंदी के विकास हेतु सरकार ने अनेक संस्थाएं बनाई हैं, जिनमें केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो,

कार्यालय संयुक्त सचिव सी. एस. आई. आर
डी. एस. आई. आर. 62
पत्र डायरी सं.
फाइल डायरी सं.
दिनांक 08/01/16

236
12/1/2016

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, विधायी विभाग आदि प्रमुख हैं। इनके माध्यम से सरकार ने प्रशिक्षण सामग्री तैयार कराने और प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है। सभी विषयों पर शब्दावली का निर्माण किया गया है तथा संहिताओं और नियम पुस्तकों का हिंदी अनुवाद सुलभ कराया गया है। इन संस्थाओं से भी यह आग्रह है कि आवश्यकतानुसार शब्दावली, अनुवाद और प्रशिक्षण आदि में हिंदी के सरल, सहज और सुगम शब्दों और रूप को प्राथमिकता दें।

4. सरकार के अधीन काम करते हुए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व है कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का लाभ लेते हुए हिंदी की सरलता, सुगमता, सहजता और एकरूपता पर विशेष ध्यान देते हुए हिंदी में कार्य करें और आम बोलचाल की भाषा में मूल रूप से टिप्पणी एवं मसौदा लेखन को प्रोत्साहित करें।

5. अत: अनुरोध है कि सरकारी कामकाज में संघ की राजभाषा हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित करते हुए इसके सरल, सहज और सुगम रूप पर विशेष ध्यान देने का कष्ट करें।

शुभकामनाओं के साथ,

आपका

(गिरीश शंकर)

सचिव

समस्त मंत्रालय/विभाग,

भारत सरकार

1. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. मंत्रिमंडल सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन) को इस अनुरोध के साथ कि वे इस पत्र की प्रतियां अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों में परिचालित करें।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

पत्र सं. 20-8(1)/2001-राभा
Dated दिनांक : 01 .02.2016

सेवा में,

सीएसआईआर मुख्यालय के सभी प्रभागाध्यक्षादि।

विषय : सरकारी कामकाज में मूल रूप से सुगम, सरल और सहज हिंदी का प्रयोग किया जाना।
Sub : To do our official work originally in easy, simple & natural Hindi.

महोदय,

आपको ज्ञात है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा है और मूलत: अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करना हम सभी का संवैधानिक और सांविधिक दायित्व है। सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग और प्रचलन विगत दशकों में नि:संदेह बढ़ा है, किंतु हिंदी का पूर्णत: प्रयोग अभी भी नहीं हो रहा है।

You are aware that the Official Language of the Union is Hindi in Devanagari Script. It is the constitutional and statutory obligation cast upon each one of us to do our official work originally in Hindi. Although, use of Hindi in the offices has increased, substantial business is still being done in English.

2. इसलिए उच्चतम स्तर पर सरकारी कामकाज में आम बोलचाल की हिंदी के सरल, सहज एवं सुस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करके छोटे-छोटे वाक्य बनाकर टिप्पणी एवं मसौदा लेखन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी/अनुभाग/प्रभाग/एकक आदि स्वत: अपने कामकाज में मूल रूप में सहज हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित हो सकें।

Original official work at the highest level must be done in easy, simple and natural Hindi and this in turn will motivate the officials/employees/sections/divisions/units etc. working under them to comply with the Official Language Policy.

3. कृपया इस पत्र के साथ संलग्न भारत सरकार के राजभाषा विभाग के सचिव, श्री गिरीश शंकर के दिनांक 28 दिसम्बर 2015 के पत्र सं. 14011/02/2011-रा.भा.(नीति) की फोटोप्रति का भी अवलोकन करें।

भवदीया,

अनुपमा
1.2.16
(डॉ. अनुपमा)

निम्नांकित को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने/कराने हेतु प्रेषित :

1. महानिदेशक, सीएसआईआर का कार्यालय
2. संयुक्त सचिव, सीएसआईआर का कार्यालय
3. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर का कार्यालय
4. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर का कार्यालय

जारी .....2..

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788
Website : http://www.csir.res.in

5. प्रमुख, पीपीडी, सीएसआईआर मुख्यालय
6. प्रमुख, इस्टैड, सीएसआईआर मुख्यालय
7. प्रमुख, यूएसडी, सीएसआईआर मुख्यालय
8. प्रमुख, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग (आईटीडी), सीएसआईआर मुख्यालय
9. वरिष्ठ उप सचिव (पीडी), सीएसआईआर मुख्यालय
10. वरिष्ठ उप सचिव (एचआर), सीएसआईआर मुख्यालय
11. उप सचिव (केन्द्रीय कार्यालय प्रशासन), सीएसआईआर मुख्यालय
12. वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार (रोकड़+पेंशन एवं निधि+वित्त+आंतरिक लेखापरीक्षा+लेखापरीक्षा), सीएसआईआर मुख्यालय
13. उप वित्त सलाहकार (रिपोर्ट+लेखा+बजट), सीएसआईआर मुख्यालय
14. वरिष्ठ भंडार एवं क्रय नियंत्रक, सीएसआईआर मुख्यालय
15. विधि सलाहकार, सीएसआईआर मुख्यालय
16. प्रभारी–वैज्ञानिक, एचआरडीसी, सेक्टर, 19–सेन्ट्रल गवर्नमेंट एन्क्लेव, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद–201 002, उत्तर प्रदेश
17. प्रमुख, आईपीयू, 14 सत्संग विहार मार्ग, स्पेशल इंडस्ट्रियल एरिया, निस्केयर बिल्डिंग, नई दिल्ली–110067
18. प्रमुख, एचआरडीजी, सीएसआईआर कॉम्पलेक्स, इंस्टीट्यूट ऑव होटल मैनेजमेंट के सामने, लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा, नई दिल्ली – 110 012
19. कार्यालय प्रति

गिरीश शंकर, आई.ए.एस.
सचिव

Girish Shankar, IAS
SECRETARY
Tel. : 23438266 Telefax : 23438267
E-mail : secy-ol@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
3rd FLOOR, N.D.C.C.-II BHAWAN,
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001
www.rajbhasha.gov.in

फाइल सं.14011/02/2011-रा.भा. (नीति) दिनांक 28 दिसम्बर, 2015

विषय: सरकारी कामकाज में सुगम, सरल और सहज हिंदी का प्रयोग ।

प्रिय महोदय/महोदया,

आपको ज्ञात है कि संघ की राजभाषा हिंदी है। सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग और प्रचलन विगत दशकों में नि:संदेह बढ़ा है, किंतु हिंदी का पूर्णत: प्रयोग अभी भी नहीं हो रहा है। चूंकि संघ सरकार की राजभाषा हिंदी है अत: यह हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम अपने कामकाज में हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित करें।

2. राजभाषा हिंदी के प्रयोग के मामले में जो बात बार-बार चर्चा का विषय बनती है, वह है सरल हिंदी का प्रयोग। आम बोलचाल की हिंदी के शब्दों को कार्यालयों के कामकाज में प्रयोग में लाया जाना चाहिए। हिंदी के सरल, सहज एवं सुस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करके छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग टिप्पणी लेखन एवं पत्राचार के लिए किए जाने से हिंदी के प्रति सबकी रुचि बढ़ेगी। सरकारी कामकाज में हिंदी सिर्फ अनुवाद की भाषा बनकर न रह जाए, इसलिए आवश्यक है कि मंत्रालयों/विभागों में उच्चतम स्तर पर सरल हिंदी का प्रयोग किया जाए, जिससे अनुभाग/प्रभाग स्वत: अपने कामकाज में मूल रूप में सहज हिंदी का प्रयोग करेंगे।

3. देश की सामासिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए हिंदी के विकास हेतु सरकार ने अनेक संस्थाएं बनाई हैं, जिनमें केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो,

236
12/1/2016

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, विधायी विभाग आदि प्रमुख हैं। इनके माध्यम से सरकार ने प्रशिक्षण सामग्री तैयार कराने और प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है। सभी विषयों पर शब्दावली का निर्माण किया गया है तथा संहिताओं और नियम पुस्तकों का हिंदी अनुवाद सुलभ कराया गया है। इन संस्थाओं से भी यह आग्रह है कि आवश्यकतानुसार शब्दावली, अनुवाद और प्रशिक्षण आदि में हिंदी के सरल, सहज और सुगम शब्दों और रूप को प्राथमिकता दें।

4. सरकार के अधीन काम करते हुए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व है कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का लाभ लेते हुए हिंदी की सरलता, सुगमता, सहजता और एकरूपता पर विशेष ध्यान देते हुए हिंदी में कार्य करें और आम बोलचाल की भाषा में मूल रूप से टिप्पणी एवं मसौदा लेखन को प्रोत्साहित करें।

5. अतः अनुरोध है कि सरकारी कामकाज में संघ की राजभाषा हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित करते हुए इसके सरल, सहज और सुगम रूप पर विशेष ध्यान देने का कष्ट करें।

शुभकामनाओं के साथ,

आपका

(गिरीश शंकर)

सचिव
समस्त मंत्रालय/विभाग,
भारत सरकार

1. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. मंत्रिमंडल सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन) को इस अनुरोध के साथ कि वे इस पत्र की प्रतियां अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों में परिचालित करें।